

न्यायालय जिला कलक्टर, झुझुनु

पीठाधीन अधिकारी- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई ए एस

अपील संख्या 5/2023

सन्त कुमार पुत्र श्री गजानन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बुडाना, तहसील व जिला झुझुनु।

—अपीलान्त

बनाम

- 1 पुरुषोत्तमलाल शर्मा पुत्र श्री गजानन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बुडाना, तहसील व जिला झुझुनु।
- 2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, झुझुनु, तहसील व जिला झुझुनु।

— रैस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनु दिनांक 10.11.2022 उनवानी प्रकरण पुरुषोत्तम बनाम सन्त कुमार मु0न0 3/2022 अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, एडवोकेट- रैस्पोंडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रैस्पोंडेन्ट सं0 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

उक्त विषयक अपील मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के तहसीलदार झुझुनु के आदेश दिनांक 10.11.2022 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्त के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्त के खेत खसरा नम्बर 830 में बन्द रास्ते को खोलने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक बगड व पटवारी हल्का बुडाना को उक्त रास्ता खुलवाकर आवागमन चालू करवाने हेतु आदेश जारी हो। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलान्त की ओर से नीचे लिखे अनुसार पेश की जा रही है। अदालत मातहत का आदेश विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विरुद्ध है। अपीलान्त के खेत खसरा नम्बर 830 में से पहले से रास्ता रैस्पोंडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 829 में जाता है। अपीलान्त के खेत में से एक रास्ता पहले से जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने गौर न कर नया रास्ता अपीलान्त के खेत में निकालने का आदेश दिया है। अधिनियम की धारा 251 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भूमिधारी रास्ते का अधिकार या अन्य सुलभ या अधिकार का उपयोग कर रहा हो और उसकी सहमति के बिना बाधित किया जाये लैण्ड होल्डर को उक्त प्रचलित रास्ता को खुलवाने का अधिकार दिया गया है न कि नया रास्ता


लक्ष्मण सिंह कुडी

खुलवाने के लिए अधिकृत है। जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 में से पहले से ही रास्ता जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत के द्वारा नया रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में खेत खसरा नम्बर 829 में जो वाले रास्ते को अपीलान्ट के द्वारा बन्द करना बताया है जबकि अपीलान्ट क द्वारा खेत खसरा नम्बर 830 में से रास्ता चालू है। उसके बावजूद दूसरा रास्ता अपीलान्ट के खेत में से निकालने का आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत के द्वारा मात्र प्रचलित रास्ते में अवरोध पैदा करने को हटाया जाकर उसको चालू करवाये जाने का प्रावधान है न कि नये रास्ते का निर्माण कर उसको चालू करवाये जाने का है। अदालत मातहत के द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर नया रास्ता निकालने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व राजस्व रिकार्ड पर गौर न कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के खेत में से नया रास्ता निकालने की भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पीडित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए परन्तु अदालत मातहत के द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया है। जहां प्रकरण में सारभूत तथ्य होते है है वहां पर दोनों पक्षों को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। अदालत मातहत ने ऐसा नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार ब्रह्मनु दिनांक 10.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावली की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विरुद्ध है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 में से पहले से रास्ता रेस्पोंडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 829 में जाता है। अपीलान्ट के खेत में से एक रास्ता पहले से जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने गौर न कर नया रास्ता अपीलान्ट के खेत में निकालने का आदेश दिया है। अधिनियम की धारा 251 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भूमिधारी रास्ते का अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपयोग कर रहा हो और उसकी सहमति के बिना बाधित किया जाये तो लेन्ड होल्डर को उक्त प्रचलित रास्ता को खुलवाने का अधिकार दिया गया है न कि नया रास्ता खुलवाने के लिए अधिकृत है। जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 में से पहले से ही रास्ता जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत के द्वारा नया रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में खेत खसरा नम्बर 829 में जो वाले रास्ते को अपीलान्ट के द्वारा बन्द करना बताया है जबकि अपीलान्ट क द्वारा खेत खसरा नम्बर 830 में से रास्ता चालू है। उसके बावजूद दूसरा रास्ता अपीलान्ट के खेत में से निकालने का आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत के द्वारा मात्र प्रचलित रास्ते में अवरोध पैदा करने को हटाया जाकर उसको चालू करवाये जाने का प्रावधान है न कि नये रास्ते का निर्माण कर उसको चालू करवाये जाने का है। अदालत मातहत के द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर नया रास्ता निकालने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व राजस्व रिकार्ड पर गौर न कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के खेत में से नया रास्ता निकालने की भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पीडित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए परन्तु अदालत मातहत के द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया है। जहां प्रकरण में सारभूत तथ्य होते है है वहां पर दोनों पक्षों को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। अदालत मातहत ने ऐसा नहीं किया। अपीलान्ट के खेत में से पहले से ही दो रास्ते मौजूद है। अदालत मातहत नया रास्ता कायम नहीं कर सकती। यदि रेस्पोंडेन्ट स0 1 नया रास्ता खहता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए में अनुतोष मिल सकता है जो उसके द्वारा नहीं चाहा गया है। जो रास्ता खोला गया है वह अपीलान्ट की अकंले की भूमि में से कायम नहीं किया जा सकता है। रास्ते के दोनों ओर के खेतों से बराबर-बराबर जमीन रास्ते के


 जिला कलेक्टर हुन्डुवा


लिए ले जानी चाहिए थी। रेस्पोंडेन्ट ने पहले से ही अपीलान्ट की ढाई बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। यदि जबरन अपीलान्ट की भूमि से रास्ता निकाला जाता है तो अपीलान्ट के पास भूमि ही शेष नहीं रहेगी और न ही अपीलान्ट को बदले में कोई भूमि या डी०एल०सी० दर से राशि मिलेगी। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू दिनांक 10.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट सं० 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रचलित रास्ते को खोल सकती है। यदि अपीलान्ट को कम जमीन मिली है तो वह इसके लिए दावे में अनुतोष प्राप्त कर सकता है। तहसीलदार झुझुनू ने बाद जांच गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का की मौजूदगी में नियमानुसार रास्ता खोला है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू का निर्णय दिनांक 10.11.2022 यथावत रखा जावे।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं० 2 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू द्वारा प्रचलित रास्ते को खुलवाया है। अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू ने बाद जांच गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का की मौजूदगी में नियमानुसार रास्ता खोला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रचलित रास्ते को खोल सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू का निर्णय दिनांक 10.11.2022 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में बहस के दौरान एक ओर जहां वकील अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि विवादित भूमि के भौके पर पहले से ही दो रास्ते मौजूद हैं। अदालत मातहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में नया रास्ता कायम नहीं कर सकती। जो रास्ता खोला गया है वह अपीलान्ट की अकेले की भूमि में से कायम नहीं किया जा सकता है। रास्ते के दोनों ओर के खेतों से बराबर-बराबर जमीन रास्ते के लिए ले जानी चाहिए थी। दूसरी ओर वकील रेस्पोंडेन्ट सं० 1 ने कथन किया है कि अदालत मातहत तहसीलदार झुझुनू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रचलित रास्ते को खोल सकती है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते हैं कि अदालत मातहत रिकार्ड व भौके की जांच कर तय करे कि रास्ता किस श्रेणी का है। अतः अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10.11.2022 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है व अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि की मोड़ के स्थान जहां से रास्ता खोला गया है की पुनः जांच कर उभय पक्षकारान् की मौजूदगी में बाद सुनवाई पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। तब तक वर्तमान रास्ता खुला रखा जावेगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फौसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाफ़ा दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर
जिला झुझुनू